प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्रमांक 92/2018

अशोक तिवारी, आयु लगभग 58 वर्ष, पुत्र स्व. रामकेश तिवारी, पेशा-व्यवसाय, निवासी ग्राम-सरहारी, थाना प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

----याचिकाकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक 1

विरूद्ध

1. सुनील कुमार तिवारी, आयु लगभग 42 वर्ष पुत्र स्व. रामकेश तिवारी निवासी गोधनपुर, नगर अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) **(वादी)**

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला कलेक्टर, सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

(प्रतिवादी क्रमांक-2)
उत्तरदातागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु :श्री विवेक भक्ता, अधिवक्ता।
उत्तरदाता क्रमांक-1 हेतुः तामीली के उपरांत भी कोई उपसंजात नहीं।
प्रतिवादी क्रमांक-2/राज्य हेतुः श्री विमलेश बाजपेयी, सरकार। अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल
बोर्ड पर आदेश

22/01/2019

1. प्रतिवादी क्रमांक 1/वादी ने याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के खिलाफ व्यवहार न्यायधीश, वर्ग-।, प्रतापपुर के समक्ष स्वत्व, स्थायी निषेधाज्ञा और कब्जे की घोषणा के लिए व्यवहार वाद क्रमांक 13-अ/2016 दायर किया है। उपरोक्त वाद के लंबित रहने के दौरान, वादी ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत जिला न्यायाधीश, सूरजपुर के समक्ष उपरोक्त वाद को प्रतापपुर से किसी अन्य न्यायालय में इस आधार पर अंतरित करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि दांडिक परिवाद क्रमांक 93/2017 [सुनील

तिवारी बनाम अशोक तिवारी और दो अन्य] न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर की न्यायालय में भी लंबित हैं और उस प्रकरण में पीठासीन अधिकारी अभियुक्तगण का पक्ष ले रहे हैं और इसलिए, प्रतिवादी क्रमांक-1/वादी के मन में उचित संशय है कि उसे न्याय नहीं मिलेगा और उसने उक्त पीठासीन अधिकारी के खिलाफ इस न्यायालय (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय) में शिकायत भी की है और जिसमें रजिस्ट्रार (सतर्कता), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पहले ही प्रशासनिक पक्ष में इसका संज्ञान ले लिया है और इसलिए, व्यवहार वाद को प्रतापपुर से व्यवहार न्यायधीश वर्ग-1 सूरजपुर में अंतरित कर दिया जाए।

2. जिला न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा पूछे जाने पर व्यवहार न्यायधीश, वर्ग-1, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर ने जिला न्यायाधीश, सूरजपुर को अनुरोध पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि चूंकि वादी-सुनील कुमार तिवारी द्वारा उनके खिलाफ शिकायत की गई है और उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से इस आशय का 12 सितंबर, 2017 का ज्ञापन भी मिला है, इसलिए वाद के उचित निराकरण हेतु, इसे विधि के अनुसार वाद के निराकारणार्थ अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विद्वान जिला न्यायाधीश ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 8.11.2017 द्वारा अभिनिर्धारित किया कि चूंकि उक्त पीठासीन अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और उन्होंने व्यवहार वाद को अपने न्यायालय (प्रतापपुर) से किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करने की अनुशंसा की है और इसलिए, उस अनुशंसा को स्वीकार करते हुए, वादी द्वारा दायर व्यवहार वाद को प्रतापपुर से व्यवहार न्यायधीश, वर्ग-1, सूरजपुर को अंतरित कर दिया जाता है, जिसके खिलाफ यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि चूंकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की आवश्यकता उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह केवल व्यवहार न्यायालय, प्रतापपुर के विद्वान पीठासीन अधिकारी की आशंका पर

व्यवहार वाद को अंतरित करने का आधार प्रदान नहीं करेगा, इसलिए वाद को अंतरित करने का आदेश वैध और पर्याप्त आधारों पर आधारित होना चाहिए।

5. मैंने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अत्यंत सावधानी के साथ आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया है।

6. याचिकाकर्ता ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत इस न्यायालय के समक्ष अंतरण के लिए आवेदन किया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 निम्नानुसार हैः-

> 24. अन्तरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्तिः (1) किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चत् और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चत् या ऐसी सूचना दिए बिना स्वप्रेरणा से, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी प्रक्रम में-
>
> (क) ऐसे किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को, जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए लम्बित है, अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को, अन्तरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है, अथवा
>
> (ख) अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लम्बित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा, तथा-
>
> (i) उसका विचारण या निपटारा कर सकेगा अथवा
>
> (ii) अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को उसका विचारण या निपटारा करने के लिए अन्तरित कर सकेगा, जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है; अथवा
>
> (iii) विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्यन्तरण कर सकेगा, जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था।
>
> (2) जहां किसी वाद या कार्यवाही का अन्तरण या प्रत्याहरण उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहां वह न्यायालय, जिसे [ऐसे वाद या कार्यवाही का तत्पश्चत् विचारण करना है या उसे निपटाना है। अन्तरण आदेश में दिए गए विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए या तो उसका पुनः विचारण कर सकेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा जहां से उसका अन्तरण या प्रत्याहरण किया गया था। उसका प्रत्याहरण किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. धारा 24 के तहत शक्ति उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय को प्रदान की गई है और अंतरण की शक्ति का उपयोग इन न्यायालय द्वारा किसी भी स्तर पर या तो किसी वाद को अंतरित करने या अपने समक्ष लंबित अपील को अपने अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करने के लिए किया जा सकता है और उसी पर वाद चलाने या अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी वाद या अपील को वापस लेने और इसे किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित करने या खुद ही इसका निपटारा करने का प्रयास करने के लिए सक्षम हो सकता है।

8. धारा स्वयं परिस्थितियों का संकेत नहीं देती है कि किन सभी पहलुओं पर अंतरण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यह एक स्थापित विधिक सिद्धांत है कि कार्यवाही के किसी भी पक्ष के खिलाफ पीठासीन अधिकारी की ओर से पक्षपात का एक तत्व एक वैध और उचित आधार है जो प्रभावित व्यक्ति को किसी अन्य न्यायालय में कार्यवाही के अंतरण की मांग करने में सक्षम बनाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी ने किसी अन्य न्यायालय में कार्यवाही के अंतरण की मांग करने के लिए कोई वैध या उचित आधार बनाया है।

10. **रतनलाल बनाम सुरेश कुमार**[1] के प्रकरण में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतरण का आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब पक्ष को उचित आशंका हो कि उन्हें न्याय से वंचित कर दिया जाएगा। रिपोर्ट का पैराग्राफ 12 इस प्रकार हैः-

> "12. अंतरण का आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब पक्ष को उचित आशंका हो कि उसे न्याय से वंचित कर दिया जाएगा। केवल यह तथ्य कि पक्ष को इस संबंध में संदेह है, अंतरण के लिए एक वैध आधार नहीं होगा। यह तथ्य कि न्यायाधीश ने अन्य प्रकरण में एक विशेष दृष्टिकोण लिया है, अंतरण के लिए कोई आधार नहीं है क्योंकि तर्कों द्वारा उसे अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए राजी किया जा सकता है। न्यायाधीश द्वारा पारित न्यायिक

1 AIR 1987 MP 178

आदेश को वैध रूप से अंतरण आवेदन का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसके खिलाफ उचित उपचार अपील या संशोधन के माध्यम से है।"

11. इसी तरह, **जगतगुरु श्री शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बनाम रामजी त्रिपाठी और अन्य**[2] के प्रकरण में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः-

"11. मध्यस्थ के रूप में वादी को अपना मंच चुनने का अधिकार है और उस अधिकार में बहुत मजबूत आधारों के अलावा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। न्याय के लिए खोज होनी चाहिए और न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि वादी को अपनी पसंद के मंच पर अपना वाद जारी रखने की अनुमति देने से इनकार करके पक्षों के बीच न्याय होने की अधिक संभावना है। अंतरण के लिए पर्याप्त आधार स्थापित करने की जिम्मेदारी आवेदक पर बहुत अधिक है। इस बात पर सर्वसम्मति है कि सुविधा के संतुलन की प्रधानता है वाद के अंतरण के लिए प्रमुख विचार। इसलिए पक्षों की सुविधा अंतरण का एक वैध आधार है, हालांकि इसके अंतरण के लिए एक भौतिक आधार होने के बारे में कोई सर्वसम्मति नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. पुष्पादेवी सराफ और एक अन्य बनाम जय नारायण परसरामपुरिया और अन्य [3] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

"6. जब इस तरह के या इसी तरह के आरोप लगाते हुए अंतरण याचिका दायर की जाती है, तो रिपोर्ट यदि मांगी जाती है, तो सामान्य रूप से न्यायाधीश की निष्पक्षता या निष्पक्षता के खिलाफ लगाए गए आरोपों तक ही सीमित होनी चाहिए, न कि उनके द्वारा पारित आदेशों की शुद्धता या अन्य के संबंध में। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरण याचिका दायर किए जाने पर, विद्वान जिला न्यायाधीश ने पीठासीन अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी है। अपनी रिपोर्ट में, पीठासीन अधिकारी न केवल अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करता है, बल्कि अपने द्वारा पारित आदेशों को भी समझाता है और उन्हें उचित ठहराता है। ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से इसलिए किया क्योंकि अंतरण याचिका में उनके कुछ आदेशों की शुद्धता पर सवाल उठाया गया था। हमारी राय में, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर इस तरह के स्पष्टीकरण के लिए नहीं रखा जाना चाहिए।

2 AIR 1979 MP 50
3 (1992) 2 SCC

7. दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारी राय है कि अंतरण याचिका में आरोप पर्याप्त नहीं हैं और अंतरण के आदेश की आवश्यकता नहीं है। हम संतुष्ट हैं कि विद्वान पीठासीन अधिकारी केवल इस न्यायालय के दिनांक 14/08/1991 के आदेश के अनुसरण में प्रकरण की तेजी से सुनवाई करने का प्रयास कर रहे थे।"

13. **कुलविंदर कौर उर्फ कुलविंदर गुरचरण सिंह बनाम कंडी फ्रैंड्स एजुकेशन ट्रस्ट व अन्य**[4] के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत कार्यवाही से निपटने के दौरान उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगणो ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

23. संहिता की धारा 24 और 25 को एक साथ पढ़ने और विभिन्न न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायालयों द्वारा कुछ व्यापक प्रस्ताव रखे गए हैं कि अंतरण के लिए आधार क्या हो सकता है। वे वादी या प्रतिवादी या साक्षियों के लिए सुविधा या असुविधा का संतुलन हैं; वाद में शामिल बिंदुओं पर साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सुनवाई के किसी विशेष स्थान की सुविधा या सुविधा में; पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दे; वादी के मन में उचित आशंका कि उसे उस न्यायालय में न्याय नहीं मिल सकता है जिसमें वाद लंबित है; शामिल विधि के सारवान प्रश्न या वाद या अपील या अन्य कार्यवाही के अंतरण की मांग करने वाले वाद "न्याय हित" में रुचि रखने वाले जनता का एक वर्ग आदि। ऊपर कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के अंतरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए उपयुक्त हैं। तथापि वे प्रकृति में उदाहरणात्मक हैं और उन्हें किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं माना जाता है। यदि उपरोक्त या अन्य सुसंगत विचारों पर, न्यायालय को लगता है कि वादी या प्रतिवादी के उस न्यायालय में "निष्पक्ष विचारण" होने की संभावना नहीं है जहाँ से वह एक प्रकरण अंतरित करना चाहता है, तो यह न केवल शक्ति है, बल्कि ऐसा आदेश देना न्यायालय का कर्तव्य है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस प्रकार, विधिक स्थिति का पता लगाने और उपरोक्त मामलों में निर्धारित विधि के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया है और केवल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष वादी द्वारा उनके खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर प्रकरण को दूसरे न्यायालय में अंतरित करने के लिए विद्वान व्यवहार न्यायधीश , वर्ग-।, प्रतापपुर के अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुए,

4 (2008) 3 SCC 659

व्यवहार वाद को व्यवहार न्यायधीश, वर्ग-।, सूरजपुर को अंतरित कर दिया है, जबकि यह एक न्यायालय के लिए व्यवहार वाद को दूसरे न्यायालय में अंतरित करने के लिए यहाँ ऊपर किए गए विधिक विश्लेषण का वैध आधार प्रस्तुत नहीं करेगा।

15. तदनुसार, दिनांक 8.11.2017 का आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है तथा इसे एतद्द्वारा ख़ारिज किया जाता है। प्रभावित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात विधि के अनुसार अंतरण आवेदन पर उसके गुणानुगुण विचार करने के लिए मामला विद्वान जिला न्यायाधीश, सूरजपुर को प्रेषित किया जाता है।

16. रिट याचिका रिट याचिका उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है।

17. प्रकरण को समाप्त करने के पूर्व, न्यायिक अधिकारी के बारे में एक शब्द अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में, न्यायिक अधिकारी ने अपने समक्ष लंबित वाद को जिला न्यायाधीश को इस आधार पर किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करने की अनुशंसा की है कि वादी (पक्षकार) द्वारा उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में शिकायत की गई है। इस संबंध में **आल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ**[5] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी उचित है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायिक अधिकारी को निजी या पक्षपातपूर्ण प्रभावों के प्रति उदासीन होना चाहिए और विशेष रूप से निम्नानुसार अवलोकन किया गया हैः-

> "61. प्रत्येक न्यायिक अधिकारी का आचरण निंदा से ऊपर होना चाहिए। उसे कर्तव्यनिष्ठ, अध्ययनशील, पूर्ण, विनम्र, धैर्यवान, समयनिष्ठ, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, सार्वजनिक कोलाहल से निडर, सार्वजनिक प्रशंसा की परवाह किए बिना, और निजी, राजनीतिक या पक्षपातपूर्ण प्रभावों के प्रति उदासीन होना चाहिए; उसे विधि के अनुसार न्याय करना चाहिए, और एक लोक न्यास के रूप में अपनी नियुक्ति से निपटना चाहिए; उसे अन्य मामलों या अपने निजी हितों को अपने न्यायिक कर्तव्यों के त्वरित और उचित प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, न ही उसे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने या अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यालय का प्रशासन करना चाहिए।"

5 (1992) 1 SCC 119

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. मुझे आशा और विश्वास है कि न्यायालय का संचालन करने वाले न्यायिक अधिकारी अपने न्यायिक कार्यों के निष्पादन में उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त बंधनकारी अवलोकन पर ध्यान देंगे और बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

19. इस आदेश की एक प्रति ई-मेल/फैक्स द्वारा अनुपालन और आवश्यक के लिए जिला न्यायाधीश सरगुजा को प्रेषित की जाए।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (अनुच्छेद 227) क्रमांक 92/2018

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अशोक तिवारी

विरूद्ध

1. सुनील कुमार तिवारी

हेड नोट

Application under Section 24 of the Code of Civil Procedure, 1908 has to be granted for transfer of civil suit only on the basis of valid in civil ground.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अंतर्गत सिविल वाद के अंतरण का आवेदन केवल वैध सिविल आधार पर स्वीकृत किया जाना चाहिए।

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur